डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 239] रायपुर, बुधवार , दिनांक 17 अक्टूबर 2001—आश्विन 25, शक 1923

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

क्रमांक 4326/कृषि/2001 रायपुर, दिनांक 17-10-2001

डॉ. खूबचंद बघेल ''कृषक रत्न पुरस्कार'' के नियम

छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है. लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि व्यवसाय पर आधारित है. वर्तमान में राज्य में कृषि क्षेत्र में अच्छे कार्य करने वाले कृषक को सम्मानित करने के लिये किसी भी योजनांतर्गत किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है. राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि चूंकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है तथा यहां के निवासियों का प्रमुख जीविकोपार्जन का साधन कृषि है, अत: कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों को सम्मानित किया जाये. इस हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं :—

1. ये नियम ''डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार नियम 2001'' कहलायेंगे.

2. **पुरस्कार का नाम** :—डॉ. खूबचंद बघेल द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में दिये गये योगदान को ध्यान में रखते हुए तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वप्नदृष्टा होने के कारण, उनकी स्मृति में प्रदेश के प्रगतिशील सर्वोत्कृष्ट कृषक को पुरस्कार दिया जायेगा. यह पुरस्कार **''डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार''** कहलायेगा.

3. **पुरस्कार का विस्तार** :—सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य.

4. **पुरस्कार की राशि** :—दो लाख रुपये एवं प्रशस्ति-पत्र.

5. **पुरस्कार की आवृत्ति** :—वार्षिक.

6. **जूरी** :—पुरस्कार हेतु कृषक का चयन जूरी द्वारा किया जायेगा, जिसके सदस्य निम्नानुसार होंगे :—

1.	विशेष सचिव, कृषि	-	अध्यक्ष
2.	संचालक/अपर संचालक, कृषि	-	सदस्य सचिव
3.	संचालक, अनुसंधान सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर.	-	सदस्य
4.	प्रगतिशील कृषक	-	सदस्य
5.	समाजसेवी, जिसे कृषि क्षेत्र का ज्ञान हो	-	सदस्य

7. **पुरस्कार का कार्यक्षेत्र** :—कृषि क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य करने वाले किसान को यह पुरस्कार दिया जायेगा. ऐसा कृषक, जो खेती में नवीन तकनीकी को अपनाता हो, जिसकी फसल सघनता अच्छी हो, कृषि क्षेत्र में इन्नोव्हेटिव कार्य करता हो, भूमि एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो, कृषि संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करता हो, कृषि विपणन में जिसका योगदान हो, इत्यादि को यह पुरस्कार दिया जायेगा.

8. **योग्यता का मापदण्ड** :—कृषक, जो विगत 10 वर्षों से कृषि का कार्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कर रहा हो एवं छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो.

9. **चयन का मापदण्ड** :—

1. नवीन तकनीकी/कृषि कार्यमाला/कृषि प्रबंधन ज्ञान का स्तर.
2. कृषि संसाधनों के उपयोग का स्तर.
3. फसल सघनता का स्तर.
4. रोग व्याधि की रोकथाम हेतु अपनायी गयी तकनीकी का स्तर.
5. उर्वरक एवं जैव पद्धति को अपनाये जाने का स्तर.
6. कृषक द्वारा लिये जाने वाली विभिन्न फसलों की उत्पादकता का स्तर.

10. **जिला स्तरीय डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार छानबीन समिति** :—प्रत्येक जिले में उत्कृष्ट कृषकों के निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त करने, उनका परीक्षण कर गुण-दोष के आधार पर तीन कृषकों का चयन करने का कार्य निम्नांकित समिति द्वारा किया जायेगा :—

1.	जिलाध्यक्ष	-	अध्यक्ष
2.	जिला पंचायत अध्यक्ष + प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित एक विधायक.	-	सदस्य
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	-	सदस्य
4.	उप संचालक, कृषि	-	सदस्य/सचिव
5.	जिला पंचायत कृषि समिति का अध्यक्ष	-	सदस्य
6.	सहायक संचालक, उद्यान	-	सदस्य

समिति द्वारा जिले के कृषकों से आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष जूरी द्वारा निर्धारित तिथि तक कृषकों से प्राप्त आवेदन-पत्रों की सूक्ष्म जांच उपरांत गुण-दोष के आधार पर जिले के तीन उत्कृष्ट कृषकों का चयन कर निर्धारित तिथि के पूर्व राज्य शासन को जिलाध्यक्ष द्वारा भेजा जायेगा. निर्धारित तिथि के पश्चात् राज्य स्तर पर प्राप्त होने वाले प्रकरणों पर राज्य स्तरीय जूरी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा.

11. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि** :—तिथि निर्धारित करने का अधिकार जूरी को होगा. सामान्यत: राज्य के गठन के दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के दिन पुरस्कार वितरण किया जायेगा.

12. **आवेदन-पत्र :**—पुरस्कार प्रतिस्पर्धा में भाग लेने हेतु कृषक को निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट 1) में आवेदन जिला स्तरीय "डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार छानबीन समिति" के समक्ष ऐसी तिथि के पूर्व जो निर्धारित की गयी हो, के पूर्व प्रस्तुत करना होगा. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा. जूरी को आवेदन-पत्र में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार होगा.

13. राज्य स्तरीय जूरी एवं जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

परिशिष्ट 1

आवेदन फार्म

(नियम 10 के अंतर्गत)

"डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार"

छत्तीसगढ़ शासन

1. कृषक का नाम : ....
2. पिता का नाम : ....
3. शैक्षणिक योग्यता : ....
4. जाति .... : निवास प्रमाण पत्र ....
5. परिवार में सदस्यों की संख्या : ....
6. जन्मतिथि : ....
7. अन्य व्यवसाय संबंधित जानकारी : ....
8. ग्राम का नाम : ....
9. विकास खण्ड का नाम : ....
10. तहसील : ....
11. जिला : ....
12. पत्र व्यवहार का पता : ....
13. क्या आप सहकारी समिति के सदस्य हैं : हाँ/नहीं
14. क्या आपके द्वारा सह. समिति से नियमित रूप से लेन-देन किया जाता है. : हाँ/नहीं
15. कृषि क्षेत्र की जानकारी :—
    1. जोत का रकबा .... हैक्टेयर, खसरा क्रमांक/
    2. सिंचाई साधन कूप/नलकूप/नदी-नाले/नहर
    3. सिंचित क्षेत्र .... हैक्टेयर में

सिंचित क्षेत्र की फसलवार ज़ानकारी

क्र.	फसल का नाम	किस्म	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)			कुल उत्पादन (क्विंटल में)		
		खरीफ/रबी/जायद	98-99	99-2000	2000-2001	98-99	99-2000	2000-2001
1.								
2.								
3.								

4. असिंचित क्षेत्र .... हैक्टेयर में

असिंचित क्षेत्र की फसलवार जानकारी

क्र.	फसल का नाम	किस्म	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)			कुल उत्पादन (क्विंटल में)		
		खरीफ/रबी/जायद	98-99	99-2000	2000-2001	98-99	99-2000	2000-2001
1.								
2.								
3.								

5. पड़त भूमि की जानकारी
1. खरीफ पड़ती .... हैक्टेयर
2. रबी पड़ती .... हैक्टेयर
3. पुरानी पड़ती .... हैक्टेयर

16. बीज का उपयोग

(अ) क्या आपके द्वारा आधार/प्रमाणित/संकर बीज का उपयोग किया जाता है हां/नहीं

(ब) यदि हां, तो निम्न जानकारी दें

क्रमांक	फसल का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	उपयोग में लायी गयी उर्वरक की मात्रा (बोरी में)					
			यूरिया	एनपीके	डीएपी 12 : 32 :16	पोटाश	सुपर फास्फेट	अन्य
1.								
2.								
3.								

(स) क्या आपके द्वारा सूक्ष्म तत्वों का उपयोग किया जाता है हां/नहीं

यदि हां, तो-फसल का नाम ....

क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) ....

उपयोग की गयी मात्रा (किलो में) ....

17. जैविक खाद के उपयोग का स्तर

(अ) फसल का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	जैविक खाद का नाम	उपयोग की गयी मात्रा (किलो) (चालू वर्ष में)
....	....	....	....

(ब) जैविक खाद के उपयोग की विधि-संक्षिप्त टीप ....

18. एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन : फसल का नाम . . . . कृषक द्वारा अपनायी गयी विधि पर टीप . . . .

19. उद्यानिकी के फसल के अंतर्गत यदि कोई कार्य किया गया हो तो उस पर टीप . . . .

20. संसाधनों के उपयोग का स्तर

(अ) भूमि उपयोग का स्तर . . . .

(1) एक फसल क्षेत्र का रकबा . . . . .हैक्टेयर

(2) दो फसली क्षेत्र का रकबा . . . . हैक्टेयर

(3) बहु फसली क्षेत्र का रकबा . . . . हैक्टेयर

21. सिंचाई हेतु अपनायी गयी तकनीकी की जानकारी-(कूप/नलकूप/नदी-नाले)

(1) क्या आपके द्वारा सिंचाई हेतु नलकूप का उपयोग किया जाता है-हां/नहीं

यदि हां, तो खरीफ/रबी का सिंचित क्षेत्र . . . . हैक्टेयर

जायद का सिंचित क्षेत्र . . . . . . .हैक्टेयर

(2) क्या नलकूप का सिंचाई जल अपने उपयोग के अतिरिक्त आस-पास के किसानों को उपलब्ध कराया जाता है- हां/नहीं

यदि हां, तो किस दर पर कितने हैक्टेयर क्षेत्र के लिये . . . .

(3) क्या आपका कृषि क्षेत्र (खेत) नदी के किनारे है . . . .

क्या आपके द्वारा नदी/नाले को रबी सीजन हेतु कच्चा बंधान बनाकर सिंचाई हेतु उपयोग किया जाता है? . . . .

(अ) सिंचाई पद्धति का नाम क्षेत्र हे.

1. खेत से खेत में पानी भरकर क्षेत्र हे.
2. क्यारियां बनाकर
3. बॉर्डर/पट्टी बनाकर
4. स्प्रिंकलर उपयोग कर
5. ड्रिप का उपयोग कर
6. थाले बनाकर

22. भूमि (मेढों) का उपयोग

मेढों का उपयोग किस रूप में किया जा रहा है.

अ. पड़ती के रूप में

ब. अरहर, दलहन, तिलहन खेती के रूप में

स. चारा उत्पादन के रूप में

23. मवेशियों के गोबर का उपयोग आपके द्वारा कैसे किया जाता है

अ. उपले बनाकर

ब. उपले बनाकर एवं खाद के रूप में

स. बायोगैस के स्लेरी बनाने हेतु

द. केवल गोबर खाद के लिए

24. क्या आपके द्वारा नाडेप विधि अपनायी गयी है—

25. मशीनरी का उपयोग

(अ) क्या आपके द्वारा ट्रेक्टर का उपयोग किया जाता है? यदि हां, तो कितने घण्टे स्वयं के खेत में . . . .

(ब) क्या आपके द्वारा अन्य कृषकों को भी किराये में ट्रेक्टर उपलब्ध कराया जाता है? हां/नहीं

(स) क्या आप रोटोव्हेटर का उपयोग करते हैं? हां/नहीं

(ब) बैल चलित कौन-कौन से यंत्र आपके द्वारा उपयोग में लाये जाते हैं :—

1. . . . .

2. . . . .

3. . . . .

4. . . . .

26. पौध संरक्षण यंत्रों का उपयोग

(अ) कीट व्याधि की रोकथाम के लिये पौध संरक्षण यंत्रों का उपयोग किया जाता है अथवा नहीं

(ब) यदि हां तो कौन-कौन से

1.

2.

3.

27. आपका कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीक के प्रचार-प्रसार हेतु क्या योगदान रहा, टीप देवें

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

28. आवेदक कृषक किसी प्रकार असामाजिक कार्य में संलग्न न हो—

1. क्या आपके विरुद्ध ऊर्जा चोरी का प्रकरण है. हां/नहीं

2. क्या आपके प्रक्षेत्र में बंधुआ मजदूर है. हां/नहीं

3. क्या अतिक्रमण का कोई प्रकरण है. हां/नहीं

4. क्या आप अशोधी कृषक हैं हां/नहीं

5. क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है हां/नहीं

6. क्या आपको किस प्रकरण में सजा हुई है हां/नहीं

29. विशेष उल्लेखनीय टीप यदि कोई हो :—

स्थान : (आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक :

घोषणा

मैं, श्री .आत्मज श्री .घोषित करता/करती हूं कि उपरोक्त प्रविष्टियां मेरी जानकारी के अनुसार सही-सही भरी गयी हैं. कोई असत्य जानकारी नहीं दी गयी है और न ही कोई जानकारी अपूर्ण है. यदि कोई असत्य जानकारी पायी जाती है, तो उसके लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा.

स्थान : **(कृषक के हस्ताक्षर)**

दिनांक : कृषक का नाम एवं पूर्ण पता

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.